26/9/08

संजीवजी
23/09/08

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना–800001

सं० एल०ए०/अधि०/1159 दिनांकः– 25/9/08

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, सरकार, पटना

महाशय,

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–288/2008–09, निधिः– नगर पंचायत राजगीर वर्ष–2005–06 से 2007–08 आप के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।

अनुलग्नकः– यथोपरि

D.S.

भवदीय,

25/9/08
(भैरव कुमार)
लेखा परीक्षा अधिकारी/ अधिभार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 228 वर्ष 2008-09

1. प्रस्तावना

राजगीर नगर पंचायत के वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के लेखाओं की नमूना जांच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 2.6.2008 से 28.6.2008 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

	कार्यपालक पदाधिकारी	
1.	श्री राजेश कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सह- कार्यपालक पदाधिकारी	1.4.05 से 16.6.07
2.	श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी	17.6.07 से 21.11.07
3.	श्री कुमार अरूण प्रकाश, उप-समाहर्त्ता भूमि सुधार सह-कार्यपालक पदाधिकारी	22.11.07 से 31.3.08
	अध्यक्ष	
1.	श्रीमति उर्मिला देवी	1.4.05 से 8.5.07
2.	श्रीमति शकुन्तला देवी	9.5.07 से 31.3.08 तक
	उपाध्यक्ष	
1.	श्री नरेश यादव	1.4.05 से 8.5.07 तक
2.	श्री श्यामदेव राजवंशी	9.5.07 से 31.3.08 तक

3. अंकेक्षण की परिसीमा

अंकेक्षण में जांच किए गए अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट-I** में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किए गए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची **परिशिष्ट-II** में दी गयी है।

4. अधिदृश्य

नगर पंचायत राजगीर राज्य सरकार के अनुदान एवं ऋण तथा स्वयं के आय स्त्रोतो से वित्त सम्पोषित होती है। वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक की वार्षिक आय-व्यय लेखा नगर पंचायत के द्वारा तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण वास्तविक आय-व्यय की स्थिति का पता नहीं चल सका। फिर भी पी0 एल0 खाता रोकड़ बहीं के अनुसार आय-व्यय का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(52)

क्र. स.	मद	2005-06	2006-07	2007-08
1.	प्रा0 शेष	190840=06	30,04,301=00	20,28,355=00
2.	प्राप्ति			
	1. अनुदान	157738=00	–	785268=00
	2. ऋण	89684=00	–	–
	3. मुद्रांक शुल्क	603237=00	679449=00	–
	4. 12वां वित्त आयोग	1819547=00	1071362=00	2113480=00
	5. विकास अनुदान	10,00,000=00	547900=00	1397640=00
	6. सूद के स्त्रोत से	2,90,974=00	447815=00	969113=00
3.	कुल प्राप्ति	39,61,180=00	2746526=00	5265501=00
4.	कुल आय (1+3)	41,52,020=00	5750827=00	7293856=00
5.	व्यय	1147719=00	3722472=00	1695786=00
6.	अन्त शेष	30,04,301=00	20,28,355=00	55,98,070=00

रोकड़ बही के अनुसार अन्त शेष 5569709=00 रू0 है। यह अन्तर अगस्त 2005 के प्राप्ति में 28361=00 रू0 रोकड़बही में नहीं लेने के कारण है।

पी0 एल0 खाता से सम्बन्धित पास बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त आंकड़ों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी।

अतः नगर पंचायत प्रशासन से अनुरोध है कि पासबुक को अद्यतन कराकर रोकड़ बही से उसकी जांच कराएं एवं रोकड़ बही में आवश्यक संशोधन करें।

5. रोकड़ बही

(1) नगर पंचायत राजगीर में रोकड़पाल के रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया है। यह रोकड़ बही नगर पंचायत का मूल दस्तावेज है जिसके नहीं रहने के कारण नगर पंचायत को प्राप्त सभी प्राप्ति का पंचायत निधि में समय से जमा का पता नहीं चल पाता है।

अतः तत्काल रोकड़पाल के रोकड़बही का संधारण किया जाए एवं उसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

रोकड़ बही का नहीं संधारण, सरकार के द्विप्रविष्टि रोकड़ संधारण के उद्देश्यों को विफल करता है।

6. पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन

लेखा परीक्षा के दौरान मौखिक तथा लिखित रूप में पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कंडिका के अनुपालन हेतु सुझाव दिया गया परन्तु नगर पंचायत प्रशासन द्वारा कोई भी अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उसका अनुपालन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इससे स्पष्ट है कि जिस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण किया गया था उसकी पूर्ति नहीं होने में मुख्य रूप से कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत के कर्मचारी जिम्मेवार है।

अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन यथाशीघ्र तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं।

7. प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ

क्र.स.	कंडिका सं0	विवरण
1.	10	हुडको के माध्यम से शहरों का मास्टर प्लान
2.	11	एकादश वित्त आयोग
3.	12	द्वादश वित्त आयोग
4.	13	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
5.	16	I. D. S.. M. T.
6.	17	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम
7.	20	बैरियर लेखा
8.	23	विरायतन पर कर
9.	24	इण्डो होक्को होटल

8. अनुदान

नगर पंचायत राजगीर में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितनी राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था तथा उसमें से कितना व्यय किया गया था। पी0 एल0 रोकड़ बही के अनुसार निम्नलिखित राशि अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था

क्र. स.	पत्रांक/दिनांक	राशि	मद
1.	न0वि0वि0 803/30.3.2005	1,05,388=00	वेतन मद
2.	प्रा0 पत्र T.A.1202/3.6.06	52350=00	,,
3.	न0वि0वि0 5264/26.11.07	785268=00	,,
4.	प्रा0 पत्र T.A./20Stamp/304/9.8.05	6,03,237=00	मुद्रांक शुल्क
5.	प्रा0 पत्र T.A./20Stamp/336/19.9.06	679449.78	,,

(10)

इन सभी अनुदानों का आवंटन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुदान पंजी का यथाशीघ्र संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(1) **विकास अनुदान**

रोकड़ बही के अनुसार राजगीर नगर पंचायत को निम्न अनुदान विकास के लिए दिया गया।

(i)	न0 वि0 वि0 पत्रांक– 3115/19.9.06	4,25,500=00	सफाई के लिए आधुनिक मशीन क्रय हेतु
(ii)	न0 वि0 वि0 पत्रांक– 856/21.2.08	1397640=00	वापाकल लगाने हेतु

इन राशियों में से कोई भी राशि व्यय नहीं किया गया था।

अतः इसे यथाशीघ्र व्यय कर उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय।

(2) **सरकारी ऋण**

नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 804 दिनांक– 30.3.2005 के द्वारा नगर पंचायत को रू0 89684=00 रू0 ऋण वेतन मद के लिए दिया गया था। लेकिन नगर पंचायत में ऋण पंजी/ऋण विनियोग पंजी का संधारण नहीं किया गया था अतः पहले के प्राप्त ऋण का बकाया तथा उसपर कितना ब्याज बकाया था तथा उसमें से कितनी राशि सरकार को लौटायी गई इसका पता अंकेक्षण में नहीं चल सका। अतः ऋण पंजी/ऋण विनियोग पंजी का यथाशीघ्र संधणारण किया जाए तथा उसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9. **बजट**

बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 71 के अनुसार प्रत्येक नगर निकाय को हर वर्ष जनवरी में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट का प्राक्कलन करना है तथा धारा 72 के अनुसार तैयार बजट की एक प्रति करदाताओं के सुझाव एवं सूचना के लिए सूचना पट्टी पर चौदह दिन तक रखना है तथा प्राप्त सुझावों को समायोजित कर बजट प्राक्कलन स्वीकृत कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था जो एक अनियमितता है।

अतः यथाशीघ्र बजट प्राक्कलन तैयार कर तथा उसे पारित कर राज्य सरकार को भेजा जाए।

(ख) कर का मूल्यांकन

बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 के धारा 106 के अनुसार नगर निकाय प्रत्येक पांच साल पर कर का मूल्यांकन करेगा और अपने करों की दर में संशोधन करेगा। लेकिन इस धारा के विपरित नगर पंचायत राजगीर में वर्ष 1956 के बाद कोई कर का मूल्यांकन/नवीनीकरण नहीं किया गया है जिससे नगर पंचायत प्रत्येक वर्ष लाखों रू0 के आय से वंचित हो रहा है। नगर पंचायत के वित्तीय स्थिति को देखते हुए तत्काल करों के नए सिरे से मूल्यांकन की कारवाई की जानी चाहिए।

(ii) नगर पंचायत राजगीर द्वारा पेशाकर नहीं लगाया जाता है जबकि बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 की धारा 83 के अनुसार नगर निकायों को पेशाकर लगाना है।

अतः पेशाकर लगाने की दिशा में उचित कारवाही की जाए।

(iii) नगर पंचायत में खतरनाक लाइसेंस शुल्क के मांग पंजी का संधारण नहीं किया गया था तथा वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में कोई वसूली भी नहीं की गई थी। सरकार द्वारा 1991 से नए दर पर वसूली करने के लिए दर निर्धारित किया था और उसे सभी नगर निकाय में प्रेषित किया गया था। लेकिन नगर पंचायत राजगीर में वर्ष 2007-08 में पुराने दर पर ही बहुत कम मात्रा में खतरनाक व्यवसाय कर की वसूली की गई है। इससे प्रत्येक वर्ष राजस्व की हानि हो रही है।

अतः खतरनाक व्यवसाय के मांग पंजी का नए दर पर संधारण कर लाइसेंस वसूली की व्यवस्था की जाए।

10. हुडको के माध्यम से शहरों का मास्टर प्लान

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार, के द्वारा राजगीर नगर पंचायत को शहर के मास्टर प्लान के निर्माण के लिए निम्नलिखि राशि प्राप्त हुआ था।

1.	न0 वि0 वि0 बिहार पटना के ज्ञापांक 470	दिनांक 18.2.06	10,00,000=00 पी0एल0 खाता
2	,,	दिनांक 15.1.07	1,22,400=00 ,,
		कुल	11,22,400=00

राजगीर नगर पंचायत के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए हुडको का चयन राज्य सरकार ने किया था तथा उसके आलोक में हुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत राजगीर के बीच दिनांक 26.2.07 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था जिसके अनुसार मास्टर प्लान के लिए 10,00,000=00 रू0 एवं सेवा कर के रूप में 12.36% की राशि का भुगतान नगर पंचायत को करना था। नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया

1.	चेक सं0- A373043	दिनांक- 10.6.07	5,00,000=00	कार्यकारी, निदेशक, हुडको, पटना
2.	चेक सं0- A 372702	दिनांक- 7.6.08	176160=00	
			676160=00रू0	

अंकेक्षण आपत्ति

(1) सहमति पत्र के कंडिका-2 के अनुसार सहमति की तिथि से छः माह के अन्दर हुडको को मास्टर प्लान तैयार करके देना था। अगर इस तिथि में बदलाव की आवश्यकता होगी तो दोनों पक्षों की आपसी सहमति की आवश्यकता होगी। लेकिन अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक (28.6.08) हुडको ने अन्तिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करके नहीं दिया जबकि उसे 31.8.07 तक अंतिम रूप से तैयार मास्टर प्लान दे देना था।

(2) सहमति पत्र के कंडिका 4 के अनुसार हुडको को 50% राशि सहमति के तिथि को अगला 10% राशि प्रथम निरिक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने पर अगला 20% राशि ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर, अगला 10% राशि ड्राफ्ट अंतिम मास्टर प्लान पर और शेष राशि अन्तिम मास्टर प्लान की प्रति देने पर मिलना था। परन्तु हुडको द्वारा अभी तक प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किया गया है

लेकिन उसे 1,76,160=00 रू0 के द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया गया जो सहमति पत्र का उल्लंघन है।

निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करने पर नगर पंचायत द्वारा कोई कारवाई भी नहीं किया गया। अतः हुडको द्वारा तत्काल मास्टर प्लान बनाने के लिए अन्यथा उनसे 6,76,160=00 रू0 वापस मांगने के लिए नगर विकास विभाग से पत्राचार किया जाए।

(ख) नगर विकास विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक-561 दिनांक-25.10.2006 के द्वारा नगर पंचायत राजगीर को 25000=00 रू0 की राशि समेकित विकास एवम् समेकित आवास तथा गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम में योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दिया गया था। इस राशि को भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0- 01100007243 में जमा किया गया था लेकिन इसकी प्रविष्टि किसी भी रोकड़ बही में नहीं है। इसे तत्काल रोकड़ बही में दर्ज किया जाए। इस राशि को प्राप्त हुए एक वर्ष से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया। यदि इस राशि की आवश्यकता न हो तो इसे सरकार को वापस कर दिया जाए।

11. एकादश वित्त आयोग

नगर पंचायत राजगीर के एकादश वित्त आयोग की रोकड़ बही के अनुसार 2005-06 का प्रा0 शेष निम्नलिखित था-

1.	सेन्ट्रल बैंक, राजगीर (बचत खाता सं0-12611)	1469375=00
2.	दिनांक- 25.2.04 को सेन्ट्रल बैंक से पी0 एल0 खाता में स्थानान्तरण	6,05,011=00

इसके विरूद्ध वर्ष 2005-06 में कुल 28 योजनाएं ली गई थीं जिसकी प्रा0 राशि 17,36,000=00 रू0 थी। मापी पुस्तिका के अनुसार सभी योजनाएं पूर्ण थी, लेकिन 21 योजनाओं में अभिकर्त्ता को 82,024=00 रू0 का भुगतान देय था। वर्ष 2004-05 के पांच योजनओं में वित्तीय वर्ष 2005-06 में 197664=00 रू0 का

भुगतान किया गया था तीन योजनाओं पर कुल 11672=00 रू0 का भुगतान अभिकर्त्ता को देय था।

अंकेक्षण आपत्ति

(i) योजना पंजी का संधारण नहीं किया गया था अतः योजना संचिका एवं रोकड़ बही के आधार पर योजना की विवरणी तैयार की गई है।

(ii) योजना संचिका के आधार पर कुल व्यय 17,11,308.00 रू0 था, जिसमें से 25,000/- रू0 पी0एल0 खाता से व्यय किया किया गया था तथा शेष 16,86,308=00 रू0 सेन्ट्रल बैंक (खाता सं0- 12611) से व्यय किया गया था जबकि रोकड़बही के अनुसार सेन्ट्रल बैंक से कुल व्यय 16,92,308=00 रू0 था। इससे स्पष्ट है कि 6000=00 रू0 का व्यय अन्य मद में किया गया है।

(iii) रोकड़ बही के अनुसार सेन्ट्रल बैंक से योजनाओं में व्यय निम्न प्रकार था-

(a)	पूर्व की योजना पर व्यय	1,97,664 =00
(b)	2005-06 की योजना पर व्यय	14,88,644=00
(c)	श्रावणी मेला पर व्यय	54,295 00
		17,40,603=00
	एकदश वित्त आयोग के रोकड़ बही के अनुसार राशि	14,69,375=00
	दुसरे मद से विचलन	2,71,228=00

इससे स्पष्ट है कि 2,71,228=00 रू0 का विचलन दूसरे मद की राशि यथा द्वादस वित्त आयोग, अन्य विकास मद की राशि से जो सेन्ट्रल बैंक के इसी खाते 12611 था से किया गया है।

(iv) दिनांक 25.2.2004 को सेन्ट्रल बैंक से एकादश वित्त आयोग की राशि 6,05,011=00 रू0 का स्थानान्तरण पी0 एल0 खाता में किया गया था। लेकिन 31.3.2005 तक यह राशि पी0 एल0 खाता में नहीं दर्ज था। पी0 एल0 खाता का 31.3.2005 का अवशेष 190840=00 रू0 या जिसमें से 93247=00 रू0 प्रा0 अवशेष एवं 97593=00 रू0 उस माह का प्राप्ति था। इससे स्पष्ट है कि अनुदान की राशि 6,05,011=00 का विचलन अन्य मद में

किया जा चुका था। लेकिन पी0 एल0 खाता से एकादश वित्त आयोग की योजना सं0 11/05-06 में चेक सं0- A 373035 दिनांक 5.9.06 द्वारा 25000=00 रू0 का भुगतान किया गया था। अतः विचलन 6,05,011.00-25000.00=5,80,011=00 का था जो सरकार के दिशा निर्देश (सरकारी पत्रांक कंडिका-5 का उल्लंघन था। इस विचलन के लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसका कारण अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।)

(v) खनन कर एवं बिक्री कर की राशि 2,10,078=00 रू0 सरकार के सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। इसे अविलम्ब सरकार के खाते में जमा करने की कार्यवाही की जाए।

(vi) योजना के भुगतान के समय मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव में जो कम राशि हो वही भुगतान होना चाहिए लेकिन एकादश वित्त आयोग में विभिन्न अभिकर्त्ताओं को विभिन्न योजनाओं में कुल 12597=00का अधिक भुगतान किया गया।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-III** पर)

अतः 12597=00 रू0 विभिन्न अभिकर्त्ताओं से वसूल किया जाए एवं उसे सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए।

12. द्वादश वित्त आयोग

द्वादश वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर पंचायत राजगीर को 2005-06 से 2007-08 के बीच निम्नलिखित अनुदान प्राप्त हुआ था -

क्र.स.	पत्रांक/दिनांक	राशि	जमा
1.	न0वि0वि0-3191/28.9.05	18,19,547=00	P/L खाता में
2.	न0वि0वि0-3115/11.8.06	10,71,362=00	P/L खाता में
3.	न0वि0वि0-5674/13.12.07	21,13,480=00	P/L खाता में

उपर लिखित राशि में से 18,19,547=00 तथा 10,71,362=00 क्रमशः दिनांक 9.5.06 तथा दिनांक-29.12.06 को सेन्ट्रल बैंक के बचत खाता सं0 12611 में स्थानान्तरित कर दिया गया था। शेष राशि 21,13,480=00 रू0 31.3.2008 तक

(41)

पी0 एल0 खाता में जमा था। सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार यह राशि पी0 एल0 खाता में रखना था एवं इसकी टी0 भी0 संख्या तथा दिनांक सरकार को भेजना था। लेकिन संचिका अवलोकन से ज्ञात हुआ कि टी0 भी0 संख्या सरकार को नहीं भेजी गई थी। टी0 भी0 संख्या नहीं भेजना एवं राशि को सेन्ट्रल बैंक में स्थानान्तरित करना सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन है।

सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार द्वादश वित्त आयोग के अनुदान को निम्न प्रकार से व्यय करना था-

i	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	50%
ii	नगर प्रबंधकों की क्षमता वृद्धि	1%
iii	ई गवर्नेन्स	3%
iv	नागरिक सुविधाओं पर व्यय	46%

नगर पंचायत द्वारा 21,13,480=00 रू0 के अनुदान से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा शेष राशि व्यय किया गया था। सरकार के दिशा-निर्देशानुसार व्यय निम्न प्रकार से होना था-

क्र. स.	अनुदान की राशि	50% ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	1% नगर प्रबंधक	3% ई गवर्नेन्स	46% नागरिक सुविधा
1.	1819547=00	9,09774=00	18195=00	54586=00	836992=00
2.	1071362=06	5,35,681=00	10174=00	32141=00	4,92,826=00
	2890909=00	1445455=00	28909=00	86727=00	1329818=00

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में निम्नलिखित योजना ली गई थी :-

i	2005-06 14 योजना 13 योजना पूर्ण, 1 अपूर्ण	व्यय (31.3.08) 7,68,970=00
ii	ट्रैक्टर खरीद	3,50,500=00
iii	हाइड्रोलिक ट्रेलर एवं पानी की टंकी	1,29,000=00
iv	विज्ञापन खर्च	1450=00
v	कर्मचारी को अग्रिम	38,500=00
vi	2006-07 15 योजना 13 योजना पूर्ण, 2 अपूर्ण	9,28,811=00
	कुल	22,17,231=00

नगर पंचायत को नागरिक सुविधा पर केवल 13,29,818=00 रू0 व्यय करना था जबकि व्यय 22,17,231=00 रू0 का किया गया था। अतः 8,87,413=00 रू0 का विचलन किया गया था।

पुनः इस राशि से निम्नलिखित व्यय अन्य मदों पर किया गया

क्र.स.	चेक सं0/दिनांक	राशि	विवरण
1.	013275/31.8.06	5000.00	एच0टी0 गीडिया लि0 को नगर पंचायत के विज्ञापन के लिए
2.	0579073/3.10.07	13500.00	विशेष सफाई पर 4 कार्यालय कर्मी एवं 14 सफाईकर्मी को अग्रिम
3.	0579074/4.10.07	20,000.00	40 अस्थायी कर्मचारी को विशेष सफाई पर अग्रिम
कुल		38,500.00	

अतः कुल विचलन की राशि 887413.00 + 38500.00 = 9,25,913.00 रू0 हुआ। सरकार के दिशा-निर्देशानुसार विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना था। अतः यहाँ सरकार के दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया जो पूरी तरह अनयिमित है।

(ii) अधिक भुगतान

योजना सं0- 2/05-06 जिसकी प्रा0 राशि 60,300/- रू0 थी और मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य 60,300.00 रू0 था। लेकिन अभिकर्त्ता श्री प्रमोद कुमार को कुल 60,617.00 रू0 भुगतान हुआ था। (नगद- 55400.00 + खनन कर- 1519 + बिक्री कर 3698.00)। अतः 317.00 रू0 अधिक भुगतान अभिकर्त्ता से वसूल किया जाए।

(iii) योजना सं0- वार्ड नं0- 13/05-06 (द्वादश वित्त आयोग)

योजना का नाम मेन बाजार से कॉलेज रोड तक ईंट सोलिंग एवं नाला निर्माण

प्रा0 राशि - 62,600.00

अभिकर्त्ता का नाम - श्री किशोर प्रसाद

वास्तविक भुगतान

i	चेक सं0- 013260/3.7.06	7500=00
ii	चेक सं0- 013274/19.8.06	22900=00
iii	चेक सं0- 013351/26.8.06	19700=00
iv	चेक सं0- 013358/23.9.06	8000=00

खनन कर	58100=00
बिक्री कर	1199=00
कुल	1891=00
	61190=00

अभिश्रव के अनुसार व्यय

सामग्री	46041=00
मजदूरी	15432=00
	61473=00

इस योजना में निम्नलिखित कार्य हुआ था तथा निम्नलिखित सामग्री एवं मजदूर की आवश्यकता थी –

क्र. स.	कार्य	मात्रा	मजदूर	मिस्त्री	बालू	ईंट	सिमेंट
1.	Earth filling	7794.15cft	71	–	–	–	–
2.	Sand filling	340.82 cft	3	–	340.82 cft	–	–
3.	Brick E. Soling	2598.05 cft	32	16	259.80 cft	12990	–
4.	Brick Work (1:4)	262.31 cft	16	7	83.93 cft	3017	16.78 bag
5.	C.P. (1:4)	510.23 cft	10	5	24.49 cft	–	4.89 bag
	कुल		132	28	709.04 cft	16007	22 bag
भुगतान था			174	36	1238 cft	17205	23 bag
अधिक			42	8	528.96 cft	1198	1 bag
दर			68/–	100/–	683% cft	1984%	150/ bag
अधिक भुगतान			2856.00	800.00	3613.00	2377.00	1500

अतः कुल अधिक भुगतान 9796.00 (2856+800+3613+2377+150) की वसूली अभिकर्त्ता से की जाए एवं द्वादश वित्त आयोग की राशि में उसे जमा किया जाए।

(iv) योजना सं0– 3/06–07 (द्वादश वित्त आयोग)

योजना का नाम– श्री बंगाली सिंह के घर से अर्जुन सिंह के मकान तक पी0 सी0 सी0 कार्य

प्रा0 राशि	60,400=00
अभिकर्त्ता का नाम	श्री शिवनन्द राम

वास्तविक भुगतान

i	चेक सं0 011350/3.7.06	7500=00
ii	चेक सं0 013356/16.9.06	30,000=00
iii	चेक सं0 013363/8.12.06	15000=00
iv	चेक सं0 013367/4.1.07	2000=00
		54500=00
	खनन कर	1794=00
	बिक्री कर	4039=00
	कुल	60333=00

अभिश्रव के अनुसार व्यय

सामग्री	41419=00
मजदूर	19252=00
	60671=00

इस योजना में 799 घन फीट पी0 सी0 सी0 कार्य हुआ था तथा 96 मजदूर एवं 12 मिस्त्री की आवश्यकता थी, जबकि भुगतान 239 मजदूर तथा 30 मिस्त्री का था, अतः अधिक भुगतान था :-

i	मजदूर 239-96=143 मजदूर X 68/- प्रति मजदूर	9724=00
ii	मिस्त्री 30-12=18 मिस्त्री X 100/- प्रति मिस्त्री	1800=00
	कुल	11524=00

अतः अधिक भुगतान की राशि 11524=00 रू0 अभिकर्त्ता से वसूल किया जाए एवं संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए।

(v)

योजना सं0	13/06-07 (द्वादश वित्त आयोग)
योजना का नाम	जिला परिषद बाजार से सूरज यादव के घर तक ईंट बिछाई का कार्य
प्रा0 राशि	73000/-
प्रशासनिक स्वीकृति	नगर पंचायत समिति
अभिकर्त्ता	श्री किशोर प्रसाद

अभिश्रव का विवरण :-

सामग्री	मात्रा	दर	राशि
ईंट	25625	2000%0	51250=00
बालू	1793.78cft	625%	11211=00
	कुल		62461=00
मजदूर	132	75=00/मजदूर	9900=00
मिस्त्री	12	100=00/मिस्त्री	1200=00
कुल			11,100=00

(५०)

कुल- 62461/- +11100=00 =73561=00

कार्य का विश्लेषण

कार्य	मात्रा	ईंट	बालू	मिस्त्री	मजदूर
Earth filling	5125.10cft	–	–		52
Sand filling	1281.27 cft	–	1281.27 cft	–	12
B.E.S.	5125.10 cft	25625	512.12 cft	32	64
		25625	1793.78	32	128

इस योजना के मस्टर रॉल के अनुसार (18.1.07 से 24.1.07 तक) केवल 12 मिस्त्री का भुगतान था। 12 मिस्त्री से केवल 1920 वर्ग फीट ब्रीक ऑन एज सोलिंग कार्य हो सकता है जबकि मापी पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 2 के क्रमांक 3 के अनुसार ब्रीक ऑन एज सोलिंग में 5125.10 वर्ग फुट का भुगतान था। इससे स्पष्ट है कि 3205.10 वर्ग फुट (5125.10-1920), 1301.25 प्रति 100 वर्ग फुट की दर से कुल 41706/- रू0 का भुगतान संदेहास्पद था।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस योजना की सम्यक जांच करावें जिससे इस संदेहास्पद कार्य पर स्थिति स्पष्ट हो सके।

(vi) खनन कर तथा बिक्रीकर की राशि 1,75,069.00 सरकार के संबंधित शीर्ष में नहीं जमा था। इसे यथा शीघ्र जमा करें।

खनन कर	96442.00
बिक्री कर	1,28,627.00
रू0	1,75,069.00

13. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

नगर विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-550 नि0/11012/03-298/न0वि0वि0 दिनांक-19.05.05 के द्वारा नगर पंचायत राजगीर को 2,26,000.00 रू0 अनुदान प्राप्त हुआ। इस राशि को सेन्ट्रल बैंक के बचत खाता सं0-12612 में जमा किया गया था। इस योजना के सभी घटकों का अलग-अलग रोकड़ बही संधारित था परन्तु शहरी मजदूरी कार्यक्रम का रोकड़ बही 28.03.

2007 तक तथा शेष रोकड़ बही 2003-04 तक ही संधारित था जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र. स.	घटक का नाम	राशि	5% आकस्मिकता व्यय	अवशेष राशि
1.	समुदायिक संरचना	74708=00	3785=00	70293=00
2.	आधारभूत संरचना	13054=00	652=00	12402=00
3.	शहरी गरीब महिलाओं एवं बच्चों का विकास	30500=00	1525=00	28975=00
4.	स्व-रोजगार कार्यक्रम	2,84,846=00	15817=00	269029=00
5.	शहरी रोजगार कार्यक्रम	13914=00	696=00	13218=00
6.	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम	15222=00	762=00	14460=00
			23237=00	4,08,377=00

7.	शहरी मजदूरी कार्य में निम्नलिखित व्यय था-				
	प्रा0 अवशेष	प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	अन्त शेष (28.3.07)
	41354=00	2,26,000=00	267354=00	2,12,356=00	54998=00

अंकेक्षण आपत्ति

(i) वर्ष 2003-04 एवं 28.3.07 के बाद रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था।

(ii) पूर्व की राशि भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0-C - 5751 में जमा थी तो 2.26 लाख रू0 की राशि को अलग बैंक खाता में जमा करना गलत था।

(iii) निम्नलिखित राशियों की निकासी चेक द्वारा की गई थी परन्तु उसका इन्दराज रोकड़ बही में नहीं था

क्र.स.	चेक सं0/दिनांक	राशि	विवरण
1.	011596/30.8.06	6000=00	रंजू देवी द्वारा प्राप्त किया गया था
2.	011597/23.9.06	12500=00	किरण देवी द्वारा प्राप्त किया गया था।

उपरोक्त व्यक्तियों को यह राशि उपलब्ध कराने का कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

पुनः निम्नखित चेक का इन्दराज रोकड़ बही में था परन्तु चेक अद्यपन्ना/बैंक पास बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया

क्र. स.	चेक सं0/दिनांक	राशि	विवरण
1.	011551/29.9.06	1500=00	रूपा देवी को चापाकल निर्माण हेतु
2.	011552/29.9.06	1500=00	तथैव
3.	011553/21.11.06	4405=00	श्री राम पिंटिंग प्रेस को बी.पी.एल. कार्य हेतु
	011554/1.3.07	651=00	किरण देवी को चापाकल निर्माण हेतु
5.	011555/28.3.07	2800=00	रूपा देवी को चापाकल निर्माण हेतु
कुल		10,856.00	

चेक अधपन्ना/बैंक पास बुक के नहीं मिलने के कारण इन राशियों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः चेक अधपन्ना/बैंक पास बुक को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(iv) कुल 23237=00 रू0 की निकासी आकस्मिकता व्यय के लिए किया गया था लेकिन इसका अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही इस योजना में प्रशासनिक व्यय के लिए अलग शीर्ष है तथा आकस्मिकता की राशि उसी शीर्ष से व्यय होनी चाहिए। अतः विभिन्न घटकों से आकस्मिकता व्यय करना सरकार के दिशा-निर्देश का उल्लंघन हैं। अतः 23237=00 रू0 की राशि को जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल किया जाए।

(v) अनियमित व्यय-इस योजना का लेखा एवं रोकड़ बही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल 3,60,706=00 रू0 का व्यय सरकार के दिशा-निर्देश के विरूद्ध किया गया था।

(विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- IV** पर)

सरकार के शहरी मजदूरी कार्यक्रम के दिशा-निर्देश का उल्लंघन कर किया गया 3,60,706=00 रू0 के खर्च को अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखा जाता है।

14. प्रशासनिक भवन निर्माण

नगर विकास विभाग, पटना के पत्रांक 1398 दिनांक 31.3.07 के द्वारा नगर पंचायत राजगीर को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु 28,87,875=00 रू0 अनुदान प्राप्त हुआ था। इस राशि को सेन्ट्रल

बैंक के खाता सं0 – 11806 में रखा गया था। दिनांक 27.08.07 को बोर्ड के बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अनुमंडल कार्यालय के दक्षिणी छोर पर सरकारी जमीन पर नगर पंचायत का प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाए लेकिन विवाद के कारण कार्य आरम्भ नहीं हो सका।

पुनः यह निर्णय लिया गया कि छबिला रोड में आर0 डी0 उच्च विद्यालय के ठीक सामने सड़क के उत्तर सरकारी जमीन पर इसका निर्माण किया जाए। इस कार्य के लिए श्री राम सिंह, अनुसेवक को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया तथा उसे चेक सं0– 036527 दिनांक 31.8.07 के द्वारा 1,00,000=00 रू0 अग्रिम दिया गया। लेकिन प्रधानाध्यापक, आर0 डी0 उच्च विद्यालय द्वारा लिखित आपत्ति के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका तथा दिनांक 23.11.2007 को अभिकर्त्ता से 1,00,000=00 रू0 वसूली हेतु आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक राशि की वसूली नहीं की गई है।

अतः 1,00,000=00 रू0 की वसूली यथाशीघ्र अभिकर्त्ता से की जाए एवं साथ ही प्रशासनिक भवन के शीघ्र निर्माण प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

15. <u>सक्शन मशीन का क्रय</u>

माननीय सासंद श्री जॉर्ज फर्नाडीस की अनुशंसा पर निदेशक, लेखा प्रशासन सह स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नालन्दा के द्वारा चेक सं0 0087376 दिनांक 1.8.03 के द्वारा नगर पंचायत राजगीर को 6,00,000.00 रू0 एक सक्सन मशीन सह जेटिंग मशीन क्रय करने हेतु दिया गया। इस राशि को सेन्ट्रल बैंक के खाता सं0–12613 में जमा किया गया जिसमें से निम्नलिखित व्यय था :–

i	विज्ञापन प्रबंधक दैनिक जागरण	4.2.05	2446=00
ii	विज्ञापन प्रबंधक दैनिक आज	,,	2509=00
iii	मे0 आर0 के इन्टरप्राइजेज, पटना को सक्शन मशीन क्रय हेतु	28.4.06	278880=00
iv	मे0 आर0 के इन्टर प्राइजेज, पटना को सक्शन मशीन क्रय हेतु	12.5.06	1,36,120=00
	कुल		**4,19,955=00**
	अवशेष राशि		1,80,045=00

(36)

अंकेक्षण आपत्ति :-

(i) सक्सन मशीन के क्रय की संचिका अंकेक्षण में नहीं प्रस्तुत किया गया।

(ii) भंडार पंजी में इसका इन्द्राज नहीं था और न हीं हिस्ट्री कार्ड कार्यालय में उपलब्ध था।

(iii) सक्शन मशीन से हुए आय का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(iv) वर्ष 2003-04 को प्राप्त हुई राशि का 2006-07 में खर्च किए जाने का कोई कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। अतः सक्शन मशीन के क्रय एवम् अन्य पर व्यय राशि रू0 4,19,955=00 उपरलिखित कारण स्पष्टीकरण तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(v) इसकी अवशेष राशि 180045=00 रू0 अभी तक पंचायत निधि में था। इसे यथाशीघ्र अनुमति लेकर खर्च किया जाए अथवा यदि आवश्यकता न हो तो उसे संम्बन्धित प्राधिकृत व्यक्ति को वापस कर दिया जाए।

(vi) भंडार पंजी में इन्द्राज नहीं होना, हिस्ट्री कार्ड का उपलब्ध न होना, क्रय की संचिका नहीं प्रस्तुत करना, इससे प्राप्त आय का ब्योरा न देना, सक्शन मशीन के क्रय/खरीद पर ही सवाल उठाता है, कि मशीन खरीदी गयी है या नहीं। इसके क्रय की प्रमाणिकता अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

16. <u>लघु एवं मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना (IDSMT)</u>

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 3 न0 नि0/आई0डी0एस0एम0टी0-30/2006-07 दिनांक-31.10.01 एवम् भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा के बैंक ड्राफ्ट सं0-009439 दिनांक-27.9.01 द्वारा आवंटित 20,00,000.00 रू0 को सेन्ट्रल बैंक राजगीर के बचत खाता सं0-11489 में दिनांक 15.5.02 को जमा किया गया था। जिसमें से 5,00,000.00 रू0 दिनांक 2.12.02 को निकासी कर नालंदा ग्रामीण बैंक के बचत खाता सं0 2414 में

स्थानांतरण किया गया। स्थानांतरण का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया।

राशि रू0 20.00 लाख से यूथ होस्टल के बगल में टूरिस्ट सेन्टर तथा टूरिस्ट सर्विस सेन्टर बनाना था जिसकी प्रा0 राशि रू0 18.60 लाख थी। इस कार्य के लिए श्री राम सिंह अनुसेवक को अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया था तथा नालंदा ग्रामीण बैंक के खाता से चेक सं0-267461 दिनांक-18.8.05 को 7500.00 रू0 अग्रिम दिया गया था। इस अग्रिम के विरूद्ध अभिकर्त्ता द्वारा रू0 60,035.00 का कार्य (मापी पु0 के पृष्ठ सं0 3 पर दिनांक 10.9.05) किया गया था।

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिला पदाधिकारी नालंदा ने मौखिक रूप से यह आदेश दिया था कि अधीक्षक, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र कर लें। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संचिका सं0 1/43/04-05 दिनांक 6.4.05 को 1 साल के वैधता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया था।

इसके बाद कार्यादेश ज्ञापांक 435 दिनांक 22.8.05 को जारी किया गया था जिसके अनुसार 9 माह के अंदर कार्य पूरा करना था। अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्राप्त होने के 4 माह बाद कार्यादेश दिया गया था। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

पुनः सरकार के सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा ज्ञपांक-835 दिनांक-29.11.05 को यह सूचित किया गया कि जिला पदाधिकारी नालंदा बनाम पर्यटन विभाग बिहार सरकार पर मुकदमा दायर है।

अतः यह जांच कर ली जाय कि पर्यटन विभाग की भूमि का अतिक्रमण तो नहीं है। इसकी जांच नहीं की गई थी (संचिका के आधार पर) तथा कार्य स्थगित कर दिया गया था।

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत राजगीर द्वारा पत्रांक-458 दिनांक 14.11.06 द्वारा पुनः कार्य प्रारंभ करने के लिए सचिव, जिला शहरी विकास अभिकरण नालंदा से अनुरोध किया गया था। लेकिन कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ था।

(39)

अतः कार्यपालक, नगर पंचायत द्वारा ज्ञपांक 273 दिनांक 31.8.07 के द्वारा अधीक्षक, पुरातत्व विभाग अंटाघाट, पटना को यह सूचित किया कि अपरिहार्य कारण से कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। इसलिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कृपा करें। लेकिन यह अभी तक अप्राप्त है।

अतः इससे स्पष्ट है कि 60,035.00 रू0 का व्यय निरर्थक है। इसलिए कार्य प्रारंभ करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाया जाय। नहीं तो राशि सरकार को वापस किया जाय।

बैंक पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया इससे यह पता नहीं चल सका कि कितनी राशि अभी बैंक में है। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

17. राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

गंदी बस्ती के आवंटन संचिका तथा रोकड़-बही के अनुसार निम्नलिखित राशि वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक प्राप्त हुई थी।

1. प्रारंभिक अवशेष	3347.00	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया चालू खाता 5751
2. बैंक ड्राफ्ट सं0- 823577/6.5.04	1,10,000.00	,, नया 01000007243
3. न0वि0वि0, पटना के पत्रांक 256/10.5.05	1,48,000.00	तथैव
Rs.	**2,61,347.00**	

बैंक पासबुक तथा चेक का अद्यतन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करने के कारण आय और व्यय के सत्यता की जांच नहीं हो सकी।

अंकेक्षण आपत्ति

(i) योजना पंजी तथा योजना संचिका (अभिलेख) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं लिया गया था।

(ii) रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2005-06 से दिनांक 29.3.07 तक कुल व्यय Rs. 1,14,224.00 चापाकल तथा कुँआ निर्माण पर तथा Rs. 33,000.00 अवास निर्माण पर था।

लेकिन चापाकल तथा कुँआ निर्माण की कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करने के कारण कुल व्यय की राशि Rs. 1,14,224.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(iii) आवास निर्माण में सरकार के निदेशानुसार Rs. 33,800.00 की अनुदान दी जायगी तथा Rs. 2500.00 लाभार्भी द्वारा मजदूरी या नगद भुगतान किया जायेगा। लेकिन इसके विपरित संचिका से यह पता चला कि

प्राप्त अभिश्रव		
1.	सामग्री	Rs. 17025.00
2.	मजदूरी	Rs. 8928.00
		Rs. 25953.00

मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि अभिकर्त्ता को Rs. 33,000.00 भुगतान किया गया था।

i	501888	5.7.06	Rs. 7500.00
ii	501889	2.8.06	Rs. 15000.00
iii	501894	7.9.06	Rs. 5000.00
iv	718151	29.3.07	Rs. 5500.00
Rs. 33,000.00			

लेकिन अभिश्रव केवल 25953.00 का या तो भुगतान रू0 33,000.00 का किया गया था। इसका कारण स्पष्ट नही किया गया था।

पुनः अभिकर्त्ता को मजदूरी का भुगतान करना था। जबकि मजदूरी का भुगतान रू0 8928.00 कार्यालय द्वारा किया गया था। अतः रू0 8928.00+ 7047/- = 15975/- की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से किया जाय।

(iv) <u>सूद की राशि की हानि</u>

सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार गंदी बस्ती की राशि बचत खाता में रखना था। बावजूद इसके नगर पंचायत द्वारा यह राशि चालू खाता मं रखा गया था (बैंक पासबुक अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था, केवल रोकड़बही पर अंकित था) इस कारण रू0

(32)

49,801.00 सूद का हानि हुआ था, जिसकी वसूली जिम्मेद्वार व्यक्तियों से किया जाय।

अनुदान की राशि	Rs. 82147X 85 माह (1.3.01 से 31.3.08)	69,82,495.00
अनुदान की राशि	Rs. 1,10,000 X 46 माह (1.6.04 से 31.3.08)	50,60,000.00
अनुदान की राशि	Rs. 1,48,000X 34 माह (1.6.05 से 31.3.08)	50,32,000.00
	Rs.	1,70,74,495.00
सूद की गणना	1,70,74,495 X $\frac{3.5}{100}$ X $\frac{1}{2}$	49801.00

(v) दिनांक 30.3.07 के बाद रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था। इसे संधारित कर अगल अंकेक्षण में उपलबध करावें।

(vi) रोकड़बही के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पूर्व के अनुदान से गटीचक मोड़, ब्लॉक रोड से डोम हरी पथ में ईंट सोलिंग तथा नाली निर्माण कार्य हुआ था। इस कार्य का प्रा0 राशि Rs. 91,000.00 था तथा इसके अभिकर्त्ता कार्यपालक अभियंता रा0 ग्रा0 वि0 कार्यक्रम, नालंदा थे। उनको S.B.I. चेक सं0 760572 दिनांक 8.3.02 से Rs. 45000.00 अग्रिम दिया गया था। उसके बाद अभिकर्त्ता को कोई भुगतान नहीं था। साथ ही योजना का अभिलेख भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था। इससे स्पष्ट है कि अग्रिम का राशि का सामंजस्य नहीं था। इस अग्रिम को 6 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अग्रिम का समायोजन/कार्यपूर्ण करने के लिए कोई पत्राचार भी नहीं किया गया था।

अतः अग्रिम की राशि Rs. 45000/- वसूली योग्य है।

(vii) सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना

गंदी वस्ती के रोकड़बही के अनुसार कुल राशि Rs. 2,61,347.00 प्राप्त हुआ था तथा इससे कुल व्यय रू0 1,47,224.00 (Rs.1,14,224.00 + Rs. 33,000.00) हुआ था। तथा अवशेष राशि Rs. 1,14,123.00 था।

गंदी वस्ती के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कार्यपालक पदाधिकारी पत्रांक 258 दिनांक 24.8.07 द्वारा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा गया था, उसके अनुसार व्यय Rs. 2.61 लाख दर्शाया गया था। जबकि रोकड़बही के अनुसार Rs. 1.47 लाख ही वास्तविक व्यय था। इससे स्पष्ट है कि Rs. 1.14 लाख व्यय का गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा गया था। अतः गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजकर सरकार के साथ धोखाधड़ी किया गया था। इसकी उच्च–स्तरीय जांच की आवश्यकता है।

18. पथों का निर्माण/जिर्णोद्धार

नगर विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा पथों के निर्माण एवं जिर्णोद्धार के लिए नगर पंचायत राजगीर को 38,11,000.00 रू0 प्राप्त हुआ था, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

i	न0वि0वि0 बिहार, पटना, ज्ञापांक 1102/30.3.06	25,57,000.00	सेन्ट्रल बैंक के बचत खाता सं0 12611 में जमा
ii	न0वि0वि0 बिहार, पटना, ज्ञापांक 1131/31.3.06	12,54,000.00	
कुल		38,11,000.00	
रोकड़ बही के अनुसार व्यय		3360408.00	
अवशेष राशि		4,50,592.00	

इस अनुदान की राशि से कुछ 46 योजनाएँ ली गई थी, जिसकी प्रा0 राशि 3832900.00 रू0 था, जबकि वास्तविक भुगतान केवल 33,51,989.00 रू0 का था। सभी योजनाएं सड़क निर्माण तथा नाला निर्माण से सम्बन्धित थीं। इसमें से 42 योजना पूर्ण हो चुकी थी, दो अपूर्ण थीं एवं दो योजना में कोई कार्य नहीं किया गया था।

अंकेक्षण आपत्ति

(i) सेन्ट्रल बैंक का पासबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान के सत्यता की जांच नहीं हो सकी।

(ii) उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को नहीं भेजा गया।